

फर्द अहकाम

कार्यालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर

श्री:- श्री देवु वर्मा

विपक्षी:- श्री देवु

रस मुकदमा:- रा.दा.

पत्रावली संख्या 14 सन् 2021

13/02/24

पत्रावली पेश हुई। वादा-प्रतिवादा उपास्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था प्रमण प्रशासनिक कार्य होने में पत्रावली दिनांक 16/04/24 को पेश करें।

आज्ञा से  
[Signature]  
सिडर  
उपखण्ड अधिकारी  
सलूमबर

16/04/24

पत्रावली पेश हुई। वादा-प्रतिवादा उपास्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था प्रमण धुनाव कार्य होने में पत्रावली दिनांक 19/06/24 को पेश करें।

आज्ञा से  
[Signature]  
सिडर  
उपखण्ड अधिकारी  
सलूमबर

19/06/24

का. पेश हुई। वकील समयपत्र उप.। जवाब प्रतिवादी हेतु कठोर चाही। न्यायादिल में अंतिम कठोर दिया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि आगामी पेशी पर जवाब जामिदार्य रूप ले पेश करे। जवाब पेश नही करे पर जवाब का कठोर स्वतः बन्द समझा जावे। मि. वास्ते जवाब प्रतिवादीगण के दिनांक 10/07/24 को पेश हो।

10/07/24

का. पेश हुई। वकील वादी मय वादीगण अनुपास्थित। वकील प्रतिवादीगण उप.। वादीगण मय आधीवत। के न्यायालय समय पर विधीवत रूप ले कर-वर भावज लागवई गई। उसके उपरान्त श्री गौर-हाजिर रहेगे से वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम धरवी में खारेज किया जाता है। पत्रावली के सत कुमार शेकर नम्बर से कम हो निर्णय शुके न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूमबर  
जिला सलूमबर